रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 20, 2004/श्रावण 29, 1926

No. 150] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 20, 2004/SRAVANA 29, 1926

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 17 अगस्त, 2004

सं. टीएएमपी/20/2004-एमबीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, पोत के किनारे (शिप-साइड) से कन्टेनर-यार्ड तक तथा व्युत्क्रम में कन्टेनरों के प्रहस्तन/विस्थापन के लिए प्रभार लगाने हेतु दरों के निर्धारण के लिए मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) के प्रस्ताव को, संलग्न आदेश के अनुसार, अनुमोदन प्रदान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी 20/2004 -एमबीपीटी

मुंबई पत्तन न्यास **आवेदक**

आदेश

(अगस्त 2004 के 10 वें दिन पारित)

यह प्रकरण पोत के किनारे (शिप-साइड) से कन्टेनर यार्ड तक और व्युत्क्रम में कन्टेनरों के प्रहस्तन/विस्थापन के लिए प्रभार लगाने हेतु दरमान में संशोधन के लिए मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है ।

2. एमबीपीटी से निम्नलिखित बिन्दु प्रस्तुत किए हैं:

(i) इस समय कन्टेनरों का लाना-ले जाना, अपने-अपने ठेकेदारों की सहायता से पोत एजेन्टों और कन्टेनर प्रचालकों द्वारा किया जाता है ।

(ii) प्राधिकरण ने एमबीपीटी को व्यापक सेवाएं प्रदान करने और सुनिर्धारित दरें (बाक्स रेट्स) लगाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी थी । एक सुगठित बाक्स रेट निर्धारित करने हेतु पहले कदम के रूप में एमबीपीटी द्वारा लाने ले जाने संबंधी सेवाएँ प्रदान करना बहुत आवश्यक है ।

(iii) एमबीपीटी ने पोतों के किनारे (शिप-साइड) और कन्टेनर-यार्ड के बीच कन्टेनरों के लाने-लेजाने की गतिविधि को 15 मई 2004 से अधिग्रहण करने का निर्णय लिया और यह कन्टेनरों के बारे में एक सुगठित बाक्स दर आकलित कर रहा है ।

(iv) एमबीपीटी ने पोत के किनारे और कन्टेनर-यार्ड के बीच कन्टेनरों के लाने-ले जाने हेतु प्राइवेट फर्मों से बोलियाँ आमंत्रित की और एक निजी ठेकेदार की न्यूनतम बोली के पक्ष में अंतिम निर्णय लिया ।

न्यूनतम बोलीदाता द्वारा उल्लेखित दरें निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	गतिविधि	दर (रुपयों में)
1.	20 फीट के भरे हुए कन्टेनर का पोत के किनारे से कन्टेनर यार्ड और व्युत्क्रम में प्रहस्तन	565.00
2.	20 फीट के खाली कन्टेनर का पोत के किनारे से कन्टेनर यार्ड और व्युत्क्रम में प्रहस्तन	460.00
3.	40 फीट के भरे हुए कन्टेनर का शिप-साइड से कन्टेनर-यार्ड तक और व्युत्क्रम में प्रहस्तन	847.00
4.	40 फीट के खाली कन्टेनर का शिपसाइड से कन्टेनर यार्ड तक और व्युत्क्रम में प्रहस्तन	690.00

(v) एमबीपीटी ठेकेदार को ऊपर बताई गई दरों से भुगतान करेगा और यही राशि वह उपयोगकर्त्ताओं से वसूल करेगा और एमबीपीटी ऊपर बताए गए प्रभारों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभार वसूल नहीं करेगा ।

(vi) कन्टेनर कम्पनियों द्वारा लगाए गए वर्तमान ट्रांस्पोर्टर कन्टेनर भरा हुआ है या खाली है, कन्टेनर की इस स्थिति पर विचार न करते हुए कन्टेनरों को शिप-साइड और कन्टेनर यार्ड के बीच लाने-ले जाने के लिए रु. 950/- प्रति टीईयू लेते हैं और 40 फीट कन्टेनर के लिए उपरोक्त दर का दोगुना प्रभार लगाते हैं । पत्तन द्वारा, यातायात अपने हाथ में ले लेने के कारण एमबीपीटी में कन्टेनर प्रहस्तन लागत उल्लेखनीय रूप से नीचे आ जायेगी ।

(vii) चूंकि पत्तन उपयोगकर्त्ताओं से यातायात सेवाओं के लिए केवल वही राशि वसूली जाएगी जो यातायात ठेकेदार को देय होगी, निर्धारित प्रपत्रों में लागत के विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं । सुगठित बाक्स दरें निर्धारित करते समय, प्राधिकरण द्वारा जारी मार्गदर्शियों के अनुसार लागत विवरणियाँ प्रस्तुत की जाएँगी ।

3.1. एमबीपीटी ने कन्टेनरों के शिप-साइड से कन्टेनर यार्ड तक और व्युत्क्रम में विस्थापन/प्रहस्तन के लिए निम्नलिखित प्रभार प्रस्तावित किए हैं:

विवरण	20 फीट तक		20 फीट से अधिक	
कन्टेनर के शिप-साइड से कन्टेनर यार्ड तक और व्युत्क्रम में प्रहस्तन/विस्थापन	रु. 565/-	रु. 460/-	रु. 847.50	रु. 690/-

3.2. इस प्रस्ताव को एमबीपीटी के न्यासी मंडल ने दिनांक 29 मार्च 2004 को हुई अपनी बैठक में सहमति प्रदान कर दी है ।

4. एमबीपीटी ने शिप साइड और कन्टेनर यार्ड के बीच कन्टेनरों के लाने-ले जाने का 15 मई 2004 से अधिग्रहित करने का निर्णय लिया । एमबीपीटी द्वारा व्यक्त की गई तात्कालिकता को देखते हुए, इस प्राधिकरण ने (एमबीपीटी के) प्रस्ताव पर 4 मई 2004 को हुई अपनी बैठक में विचार किया और शिप साइड से कन्टेनर यार्ड तक और व्युत्क्रम में कन्टेनरों के प्रहस्तन/विस्थापन के लिए प्रस्तावित दरों को 15 मई 2004 से 3 माह की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर अनुमोदन प्रदान किया ।

5.1. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, एमबीपीटी का प्रस्ताव सम्बद्ध पत्तन उपयोगकर्त्ताओं / पत्तन उपयोगकर्त्ताओं के प्रतिनिधि निकायों को उनकी टिप्पणी के लिए भेज दिया गया था ।

5.2. सम्बद्ध उपयोगकर्त्ता संगठनों से प्राप्त टिप्पणियों को एमबीपीटी के पास प्रतिपूरक सूचना के रूप में भेज दिया गया ।

6. इस प्रकरण में 19 जुलाई 2004 को प्राधिकरण के कार्यालय में एक संयुक्त सुनवाई रखी गई थी । संयुक्त सुनवाई में, एमबीपीटी और सम्बद्ध उपयोगकर्त्ताओं ने अपने-अपने पक्ष रखे ।

7. इस प्रकरण में परामर्श से संबंधित प्रक्रियाएँ इस प्राधिकरण के कार्यालय के अभिलेख पर उपलब्ध है । संबद्ध पक्षों से प्राप्त टिप्पणियों और दिए गए तर्कों का सारांश संबंधित पक्षों को अलग से भिजवा दिया जाएगा । ये ब्यौरे हमारे वैबसाइट www.tariffauthority.org पर भी उपलब्ध होगा ।

8. संयुक्त सुनवाई में, एमबीपीटी ने आयोजना और पर्यवेक्षण के लिए प्रति टीईयू रु. 50/- के अतिरिक्त प्रशुल्क की अनुमति देने का अनुरोध किया था । इसलिए, एमबीपीटी से अनुरोध किया गया था कि वह, आयोजना और पर्यवेक्षण के लिए रु. 50/- प्रति टीईयू के अतिरिक्त प्रशुल्क की अनुमति हेतु अपने अनुरोध पर एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करे । एमबीपीटी ने दिनांक 22 जुलाई 2004 के अपने पत्र के माध्यम से, कन्टेनरों के प्रहस्तन और लाने-ले जाने के लिए दरें निर्धारित करते हुए रु. 50/- प्रति टीईयू की अनुमति देने के लिए अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव दाखिल कर दिया है । एमबीपीटी द्वारा उठाए गए मुद्दे संक्षेप में निम्नानुसार हैं:-

(i) एमबीपीटी केवल कन्टेनरों के प्रहस्तन और लाने-ले जाने से संबंधित कार्य की देखभाल के लिए 67 कर्मचारियों को लगाता है और इन कर्मचारियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है ।

(ii) जैसाकि समझौता ज्ञापन में निर्देश दिया गया है, प्रहस्तित किए जाने वाले कन्टेनरों का अनुमान 2, 10, 500 टीईयू आंकते हुए, वेतन / पारिश्रमिक कल्याण और सेवाल लाभों पर विचार करते हुए प्रति टीईयू लागत रू. 119.65 आंकी गई है । यदि इन 67 कर्मचारियों के केवल वेतन और पारिश्रमिक पर ही विचार किया जाए तो यह प्रति टीईयू लागत रु. 49.86 आती है ।

(iii) उपरोक्त को देखते हुए, प्रशासनिक लागत के रूप में रु. 50/- प्रति टीईयू पर, प्रस्तावित दरों के निर्धारण के समय, विचार किया जाए ।

9. संयुक्त सुनवाई में, एमबीपीटी ने उल्लेख किया था कि मुंबई एंड न्हावाशेवा कन्टेनर टर्मिनल आपरेटर्स असोसिएशन (एमएनएससीटीओए) उपयोगकर्त्ता नहीं है और उसने अनायास ही एमएनएससीटीओए का नाम सुझा दिया था । एमएनएससीटीओए को सलाह दी गई थी कि वह एमबीपीटी को तुरंत यह लिख कर बताए कि वह एमबीपीटी के प्रस्ताव के संदर्भ में किस प्रकार उपयोगकर्त्ता है । एमबीपीटी से एमएनएससीटीओए के लिखित पक्ष की जाँच पड़ताल करने और उस पर अपना प्रत्युत्तर 26 जुलाई 2004 तक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था । एमबीपीटी से हमें अभी तक कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला है । एमबीपीटी द्वारा बनाकर रखी गई स्थिति को देखते हुए, एमबीपीटी के प्रस्ताव पर एमएनएससीटीओए द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों को विश्लेषण में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

10. इस प्रकरण पर प्रक्रिया के दौरान एकत्रित सूचना की समग्रता के संदर्भ से निम्नलिखित स्थिति उभरती है:

(i) इस प्राधिकरण ने, एमबीपीटी द्वारा अधिग्रहित स्टीवेडरिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए दर-निर्धारण हेतु उसके प्रस्ताव पर सितम्बर 2003 में आदेश पारित करते हुए, पत्तन को कन्टेनरों को व्यापक सेवा प्रदान करने और एक बॉक्स दर लगाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी थी । पत्तन ने बताया है कि वह कन्टेनरों के विषय में एक सुगठित बॉक्स दर का परिगणन कर रहा है और एक सुगठित बॉक्स दर निर्धारित करने के पहले कदम के रूप में इसने शिपसाइड से कन्टेनर यार्ड तक और व्युत्क्रम में कन्टेनरों के लाने-ले जाने के कार्य का अधिग्रहण कर लिया है ।

मानसा और अन्य उपयोगकर्त्ताओं ने मांग की है कि एमबीपीटी कन्टेनरों को और अधिक विलम्ब किए बिना व्यापक सेवाएं प्रदान करे । हालांकि एमबीपीटी ने अप्रैल 2003 में ही आश्वासन दिया था कि वह बॉक्स दर तुरंत लागू करेगा, किन्तु यह अभी तक नहीं हुआ है । एमबीपीटी को सलाह दी जाती है कि वह कन्टेनरों को व्यापक सेवाएँ प्रदान करने के एवज में बॉक्स दर के लिए 31 अक्तूबर 2004 तक प्रस्ताव पेश करे ।

(ii) यह ध्यान देने योग्य है कि प्रस्तावित दरें अंतरिम आधार पर पहले से ही प्रचलित हैं और अधिकतर उपयोगकर्त्ता एसोसिएशनों ने प्रस्ताव को, कुछ बिंदुओं पर अपनी असहमति को छोड़कर, सामान्य रूप से अपनी सहमति प्रदान कर दी है ।

(iii) मानसा ने तर्क दिया है कि खाली बॉक्सों के लिए दरें अधिक हैं । उसने एमबीपीटी द्वारा प्रस्तावित दरों की कन्टेनरों को हुक प्वाइंट से स्टोरेज डिपो तक ले जाने के लिए शिपिंग कम्पनियों द्वारा ट्रांसपोर्टरों को दी जा रही दरों से तुलना की है । हमें शिपिंग कम्पनियों को प्रभारित दरों के आधार का पता नहीं है । दूसरी ओर, प्रस्तावित दरें निविदा-प्रक्रिया से निकल कर आई हैं और पत्तन द्वारा ठेकेदार को निविदा का मूल्य तो अदा करना ही होगा । ऐसा होते हुए, पत्तन का यह दावा कि वह प्रस्तावित दरों में कमी नहीं कर सकता, स्वीकार किए जाने योग्य है ।

(iv) उपयोगकर्त्ताओं ने अधिग्रहण के बाद के परिदृश्य में पोतों की संख्या में आई गिरावट के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है । पत्तन ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि शिपिंग कम्पनी /एजेन्ट निर्यात के लिए बॉक्स तैयार नहीं रखते जबकि आयात मंच पर निष्पादन (पर्फ़ॉरमैन्स) उत्कृष्ट है । मानसा से स्पष्ट किया है कि पत्तन द्वारा लाने ले जाने के अधिग्रहण के बाद कार्गो को तैयार करने के तौर-तरीकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है । अनुमानत: कुछ आरम्भिक कठिनाइयाँ हो सकती हैं और कुछ अधूरे कामों को पूरा करने की आवश्यकता है । हो सकता है एमबीपीटी उत्पादकता स्तर में आई गिरावट का तुरंत विश्लेषण करे और उपचारात्मक उपाय करे ।

(v) एमबीपीटी ने बताया था कि वह पहले कुछ देयताएँ वहन करता रहा था और वह किसी अतिरिक्त देयता के बिना वैसा करता रहेगा । क्षति की देयता कोई प्रशुल्क मुद्दा नहीं है किन्तु यह प्रचालनों के लिए प्रासंगिक है । इस मामले में आनुषंगिक कानून लागू होगा ।

(vi) सीएसएलए ने चेताया कि सेवा कर से लाइनों (शिपिंग कम्प.) की लागत बढ़ जाती है । जैसाकि एमबीपीटी ने ठीक ही कहा था कि सेवाकर सरकार द्वारा लगाया जाता है और पत्तन केवल उसे एकत्रित करने वाली एजेन्सी है । सेवाकर की देयता पत्तन द्वारा आमेलित नहीं की जा सकती । सेवाकर लगाने को शासित करने वाला कानून इस मामले में लागू होगा ।

(vii) एमबीपीटी ने आरम्भ में कहा था कि वह अपने ट्रांस्पोर्ट ठेकेदार को देय लागत के अलावा कुछ नहीं वसूल करेगा । अचानक उससे पलटते हुए, यहाँ तक कि किसी प्रस्ताव के बिना, पत्तन ने संयुक्त सुनवाई में प्रशासनिक लागत की मद में, रु. 50/- प्रति टीईयू की दर से अतिरिक्त प्रभार वसूलने की वकालत की । तत्पश्चात उसने 67 कर्मचारियों और उनके वेतनमानों की एक सूची प्रस्तुत की है । मांगे गए अतिरिक्त प्रभार का औचित्य बताने के लिए कोई गणना / परिकलन नहीं दिखाया गया है । उसने यह नहीं कहा है कि ये नए कर्मचारी हैं और इसलिए निश्चित रूप से इनके वेतन पहले से ही गिन लिए गए हैं । इसके अलावा यह भी नहीं दिखाया गया है कि इन 67 कर्मचारियों को शामिल करना, कन्टेनरों को लाने-ले जाने की सेवा के अधिग्रहण के इसके निर्णय से पैदा हुआ है । यदि ये कर्मचारी सामान्यत:कन्टेनर प्रहस्तन की गतिविधि के लिए हैं, तो संभवत: प्रहस्तन प्रभारों में ये व्यय भी समाहित होने चाहिए । यदि ऐसा नहीं है तो मांग प्रहस्तन प्रभारों के संशोधन के लिए, सम्पूर्ण औचित्य के साथ, होनी चाहिए । प्रशासनिक खर्चों की भरपाई के लिए एक अतिरिक्त प्रभार हेतु तदर्थ मांग में कोई विशेषता नहीं दिखाई पड़ती ।

(viii) ध्यान देने योग्य बात है कि उपयोगकर्त्ताओं ने एमबीपीटी के प्रस्ताव का स्वागत ही किया है और वास्तव में, उन्होंने पत्तन का अभिनन्दन ही किया है । यद्यपि प्रस्तावित दरें लागत आधारित नहीं हैं, पत्तन ने वे दरें प्रस्तावित की हैं जो निविदा प्रक्रिया से उद्भूत हुई हैं । उल्लेखनीय रूप से, बताया जाता है कि प्रस्तावित दरें कन्टेनर लाइनों द्वारा सेवा में लगाए गए ट्रांस्पोर्टरों द्वारा प्रभारित दरों से बहुत कम हैं । प्रस्तावित दरें, जिन्हें अंतरिम अवधि के लिए पहले ही अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, अतएव, अगले छ: माह के समय में बॉक्स दरों के लागू होने तक, जैसाकि एमबीपीटी ने स्वीकार किया है, जारी रखने के लिए अनुमति प्रदान की जाती है ।

11. परिणामस्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों से और समग्र विचार विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण, इस प्राधिकरण के आदेश सं. टीएएमपी/20/2004-एमबीपीटी, दिनांक 4 मई 2004 के माध्यम से पहले तदर्थ आधार पर स्वीकृत दरों को अन्तिम अनुमोदन प्रदान करता है ।

12. फलस्वरूप मुंबई पत्तन न्यास के डाक दरमान के खण्ड V के उपखण्ड (ग) (2) के नीचे धारा 3 को शामिल करने के लिए पहले तदर्थ आधार पर किए गए निम्नलिखित संशोधन को नियमित किया जाता है :

खण्ड -V

3. शिप-साइड से कन्टेनर यार्ड तक या व्युत्क्रम में कन्टेनरों के प्रहस्तन / विस्थापन के लिए अधिकतम दरें

विवरण	20 फीट तक		20 फीट से अधिक	
	भरा हुआ	खाली	भरा हुआ	खाली
शिप-साइड से कन्टेनर यार्ड तक या व्युत्क्रम में कन्टेनरों के प्रहस्तन/विस्थापन के लिए प्रति कन्टेनर अधिकतम दरें	रु. 565/-	रु. 460/-	रु. 847.50	रु. 690/-

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/04-असा.]